पत्र सं0-1075/18-4-99-212(निर्यात)/98टी.सी.

प्रेषक,

श्री हरमिन्दर राज सिंह,
सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
   नोएडा /ग्रेटर नोएडा/गीडा/सीडा/बीडा।
6. उद्योग विभाग के समस्त निगमों के प्रबन्ध निदेशक

लखनऊ: दिनांक 14 मई, 1999

लघु उद्योग अनुभाग - 4

महोदय,

निर्यात नीति 1998-2002 में प्रदेश के निर्यातकों को विशिष्ट व्यक्ति का दर्जा
दिये जाने के उद्देश्य से ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया है। यह
ग्रीन-कार्ड ऐसे निर्यातक उद्यमियों को दिये जायेंगे जो निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में पंजीकृत
होंगे। ग्रीन सिल्वर कार्ड ऐसी पंजीकृत इकाइयों को दिये जायेंगे जिनका वार्षिक [illegible]
मूल्य रू. 20 लाख या उससे अधिक होगा तथा ग्रीन गोल्ड कार्ड ऐसी पंजीकृत इकाइयों को दिये
जायेंगे जिनका वार्षिक निर्यात मूल्य रू. 50 लाख या उससे अधिक होगा। ऐसे कार्डधारकों
को उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निम्न सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी :-

1. समस्त शासकीय कार्यों में प्राथमिकता।
2. उनके द्वारा लिखे गये पत्रों की सात दिन के अन्दर पावती स्वीकार की जायेगी एवं
   उनसे सम्बन्धित विषयों का एक माह के अन्दर निस्तारण किया जायेगा।
3. वरिष्ठ अधिकारियों से एपॉइन्टमेन्ट में जनप्रतिनिधियों के बाद प्राथमिकता प्रदान की
   जायेगी।
4. ग्रीन गोल्ड कार्ड धारकों को उत्तर प्रदेश सचिवालय में निर्बन्धन प्रवेश की सुविधा दी
   जायेगी।

उपरोक्त ग्रीन सिल्वर-कार्ड एवं ग्रीन गोल्ड - कार्ड निर्यात प्रोत्साहन
उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

(हरमिन्दर राज सिंह)
सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश शासन